1. **मूलधन क्या है ? उदाहरण के लिए यदि निवेशक ने एक वर्ष की अवधि तक हर महीने 2,500 रुपये की रकम निवेश की हो, तो मूलधन की रकम कितनी मानी जाएगी - 2,500 रुपये या 30,000 रुपये (12*2,500) ?**

उत्तर: मूलधन की रकम में पीएसीएल को किए गए वे सभी भुगतान शामिल होंगे, जो पीएसीएल को स्कीम की अवधि के दौरान किए गए हों, फिर चाहे वे भुगतान किस्तों में किए गए हों या फिर एकमुश्त रूप में । अत: इस मामले में मूलधन की रकम 30,000 रुपये मानी जाएगी, जबकि 02.01.2018 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से तो केवल उन्हीं निवेशकों से दावे आमंत्रित किए गए हैं, जिनका 2,500 रुपये या उससे कम का मूलधन बकाया हो ।

2. **मैंने 12 महीनों तक हर महीने 330 रुपये की रकम निवेश की है, तो क्या मैं धन-वापसी (रिफंड) के लिए पात्र हूँ ?**

उत्तर: 2,500 रुपये (मूलधन) तक की धन-वापसी (रिफंड) की मौजूदा प्रक्रिया के अंतर्गत, 2,500 रुपये की रकम में पीएसीएल को किए गए वे सभी भुगतान शामिल होंगे, जो पीएसीएल को स्कीम की अवधि के दौरान किए गए हों, फिर चाहे वे भुगतान किस्तों में किए गए हों या फिर एकमुश्त रूप में । चूँकि, केवल वही निवेशक आवेदन करने के लिए पात्र हैं, जिनका 2,500 रुपये या उससे कम का मूलधन बकाया हो, इसलिए आप आवेदन करने के लिए पात्र नहीं माने जाएँगे क्योंकि आपका तो 3,960 रुपये का मूलधन बकाया है जो कि 2,500 रुपये की रकम से अधिक है ।

3. **यदि मेरे पास पीएसीएल का प्रमाणपत्र है और उसके अनुसार कुल प्रतिफल (कन्सिडरेशन) की रकम 10,000 रुपये है, परंतु मैंने 1,000 रुपये की केवल दो ही किस्तें भरी हैं, तो क्या ऐसे में मैं धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हूँ ?**

उत्तर: जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, 2,500 रुपये (मूलधन) तक की धन-वापसी (रिफंड) की मौजूदा प्रक्रिया के अंतर्गत, 2,500 रुपये की रकम में पीएसीएल को किए गए वे सभी भुगतान शामिल होंगे, जो पीएसीएल को स्कीम की अवधि के दौरान किए गए हों, फिर चाहे वे भुगतान किस्तों में किए गए हों या फिर एकमुश्त रूप में । यदि आपने 1,000 रुपये की केवल दो ही किस्तें भरी हैं, तो ऐसे में आपके दावे की

कुल बकाया रकम तो 2,000 रुपये हुई । अतः आप धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन करने के पात्र हैं ।

4. **धन-वापसी (रिफंड) पर किस दर से ब्याज मिलेगा** ?

उत्तर: अब तक जो रकम एकत्र की गई है, उसमें से फिलहाल तो धन-वापसी (रिफंड) की मौजूदा प्रक्रिया के अंतर्गत कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।

5. **पीएसीएल के प्रमाणपत्र पर मेरा जो नाम लिखा हुआ है, वह आधार कार्ड तथा पैन कार्ड पर लिखे हुए मेरे नाम से भिन्न है ।**

उत्तर: आपको वही नाम देना है जो पीएसीएल के प्रमाणपत्र पर लिखा हुआ हो और साथ ही आवश्यक समर्थक दस्तावेज [जैसे - पैन कार्ड / आधार कार्ड, बैंक खाते के विवरण (बैंक स्टेटमेंट) और पीएसीएल का प्रमाणपत्र / रसीदें] भी लगाने हैं ।

6. **दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद, मुझे धन-वापसी (रिफंड) की रकम कब मिलेगी ?**

उत्तर: धन-वापसी (रिफंड) का निर्णय आवेदन करने वाले निवेशक के दावों को सत्यापित करने के बाद और इस बात पर भी गौर करने के बाद लिया जाएगा कि समिति के पास कितना पैसा (फंड) है ।

7. **यदि निवेश नाबालिग के नाम से किया गया हो, तो क्या ऐसे में संरक्षक (गार्जियन) अपने बैंक के विवरण आदि देकर धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन कर सकता है ?**

उत्तर: धन-वापसी (रिफंड) की मौजूदा प्रक्रिया के अंतर्गत, कोई संरक्षक (गार्जियन) फिलहाल नाबालिग की ओर से धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन नहीं कर सकता । हालाँकि, समिति इस मामले पर विचार कर रही है और जैसे ही इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाता है, उसकी सूचना दे दी जाएगी ।

8. **यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, जिसका नाम पीएसीएल के प्रमाणपत्र पर हो, तो क्या ऐसे में नामिती (नॉमिनी) / कानूनी वारिस अपने विवरण आदि (जैसे आधार कार्ड / पैन नंबर, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड) प्रदान कर सकता है ?**

उत्तर: धन-वापसी (रिफंड) की मौजूदा प्रक्रिया के अंतर्गत, फिलहाल तो मृत व्यक्ति की ओर से उसका कानूनी वारिस / नामिती (नॉमिनी) धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन नहीं कर सकता। हालाँकि, समिति इस मामले पर विचार कर रही है और जैसे ही इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाता है, उसकी सूचना दे दी जाएगी।

9. **पीएसीएल से जो पावती (अक्नॉलिज़्मेंट) मिली थी, मेरे पास केवल वही है, क्योंकि मैं अपने मूल प्रमाणपत्र / रसीदें तो पीएसीएल के पास जमा करवा चुका/चुकी हूँ। ऐसे में क्या मैं धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन कर सकता/सकती हूँ ?**

उत्तर: धन-वापसी (रिफंड) की मौजूदा प्रक्रिया के अंतर्गत, कोई भी निवेशक पावती (अक्नॉलिज़्मेंट) को समर्थक दस्तावेज (सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट) के तौर पर प्रस्तुत करके आवेदन नहीं कर सकता। हालाँकि, समिति इस मामले पर विचार कर रही है और जैसे ही इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाता है, उसकी सूचना दे दी जाएगी।

10. **क्या मैं धन-वापसी (रिफंड) हेतु दावे का आवेदन (समर्थक दस्तावेजों सहित) कागज़ी तौर पर जमा करवा सकता/सकती हूँ ?**

उत्तर: जैसा तारीख 02.01.2018 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह सूचित किया जा चुका है कि धन-वापसी (रिफंड) की मौजूदा प्रक्रिया के अंतर्गत धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के केवल दो ही तरीके हैं, पहला एसएमएस [जो फिर प्रमाणन (ऑथेंटिकेशन) के बाद मोबाइल-पोर्टल पर ले जाएगा] और दूसरा वेब-पोर्टल। धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया बताने वाले डेमो वीडियो इस लिंक पर दिए हुए हैं - https://sebicommitteepaclrefund.com। डेमो वीडियो में विस्तार से पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि एसएमएस के जरिए और वेब-पोर्टल के जरिए धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन कैसे करना है। ये वीडियो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध हैं।

11. मेरी माँ ने पीएसीएल में निवेश किया हुआ है, परंतु उनका कोई बैंक खाता नहीं है, तो ऐसे में क्या वे लेनदेन (ट्रांजैक्शन) के लिए मेरे बैंक खाते का इस्तेमाल कर सकती हैं?

उत्तर: धन-वापसी (रिफंड) का दावा प्रस्तुत करने वाले निवेशक को अपने ही बैंक खाते के विवरण देने होंगे । अत: यदि आपकी माँ ने पीएसीएल में निवेश किया हुआ है और वे धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहती हैं, तो ऐसे में उन्हें अपने ही बैंक खाते के विवरण देने होंगे । यदि आपकी माँ का कोई बैंक खाता नहीं है, तो उन्हें अपना बैंक खाता खुलवाना होगा । फिर उन्हें धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन करते समय उसी बैंक खाते के विवरण देने होंगे ।

12. पीएसीएल की ओर से मुझे पीएसीएल का एक प्रमाणपत्र जारी किया गया था और उसके बाद पीएसीएल की किसी एक रजिस्ट्रीकरण संख्या की बाबत मेरे द्वारा जमा कराई गई प्रत्येक किस्त की एवज में रसीदें जारी की गई थीं । ऐसे में मैं उन रसीदों की स्कैन की हुई प्रतियाँ कैसे अपलोड करूँ ?

उत्तर: यदि किसी एक रजिस्ट्रीकरण संख्या की बाबत, आपको पहले एक पीएसीएल का प्रमाणपत्र जारी किया गया हो और फिर उसके बाद जमा कराई गई किस्तों की एवज में रसीदें जारी की गई हों, तो ऐसे में आप पहले अपना पीएसीएल का प्रमाणपत्र अपलोड करें और फिर उसके बाद आप रसीदें भी अपलोड कर सकते हैं । इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप कृपया डेमो वीडियो देखें ।

13. मैंने वेबसाइट (sebicommitteepaclrefund.com) पर अपने व्यक्तिगत विवरण भर दिए हैं, परंतु मैंने अपना आधार कार्ड और बैंक संबंधी दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं। कृपया मुझे यह बताएँ कि मैं इन दस्तावेजों को अपलोड कैसे करूँ ?

उत्तर: एक बार जब आप वेब-पोर्टल पर अपने व्यक्तिगत विवरण भर लेंगे, तो आपको एक एसएमएस प्राप्त होगा जिस पर कुछ ऐसा संदेश लिखा होगा - *पीएसीएल के संबंध में आपके द्वारा धन-वापसी (रिफंड) हेतु किए गए निवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अपने धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए, कृपया इस लिंक पर क्लिक करें - [xxxx]*

और ये दस्तावेज प्रस्तुत करें : (क) पीएसीएल के प्रमाणपत्र / रसीदों की स्कैन की हुई प्रतियाँ (ख) आपके आधार कार्ड / पैन कार्ड की स्कैन की हुई प्रति (ग) आपके बैंक खाते के विवरण (सबसे अंत के) की स्कैन की हुई प्रति । यदि आपका आवेदन अधूरा रह गया हो, तो ऐसे में आप उपरोक्तानुसार आने वाले संदेश में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके या फिर उस लिंक को *कॉपी* करने के बाद यूआरएल (URL) में *पेस्ट* करके अपने आवेदन में जा सकते हैं और अपने आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं ।

*****